

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, म.प्र., भोपाल – 462003

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित हैंडबुक मॉडल पर आधारित

मैनुअल्स –17

अध्याय–18

पृष्ठ–61

अक्टूबर 2019 की स्थिति में

अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1- हैण्डबुक की पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअल की जानकारी।

1.2- हैण्डबुक का उद्देश्य

हैण्डबुक में बिंदु क्रमांक 1.1 में वर्णित 17 मैनुअल की जानकारी दी गई है।

1.3- हैण्डबुक की उपयोगिता

राजभवन के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिए उपयोगी है।

1.4- हैण्डबुक का प्रारूप

इस हैण्डबुक में 18 अध्याय हैं जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित जानकारी शामिल है।

1.5- परिभाषाएं

सूचना का अधिकार अधिनियम 5 की धारा 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुरूप है।

1.6- संपर्क व्यक्ति

हैण्डबुक में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

1.7 हैण्डबुक में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए भी राज्यपाल के विशेष सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

अध्याय –2 (मैनुअल-1)
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1- लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।

2.2- लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

बिंदु क्रमांक 2.1 के अनुसार

2.3- लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

1 नवंबर 1956 को नव गठित मध्यप्रदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद का गठन हुआ है।

2.4- लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

1. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत माननीय राज्यपाल को सौंपे गये विभिन्न कर्तव्य

2.1 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति – 1. अवधेश प्रताप सिंह वि.वि.रीवा 2. बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल 3. देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर 4. जीवाजी वि.वि. ग्वालियर 5.रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर 6. विक्रम वि. वि. उज्जैन 7. जवाहरलाल कृषि वि.वि. जबलपुर 8. म.प्र. भोज (मुक्त) वि.वि. भोपाल 9. चित्रकूट ग्रामोदय वि.वि. चित्रकूट 10. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल 11. महर्षि पाणिनी, संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं 12. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, 13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, 14. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, 15. मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 16. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, 17. डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, 18. सांची बौध्द-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची जिला रायसेन, 19 राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 20. पंडित एस.एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय शहडोल

2.2 प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष (विजिटर) :-

प्रदेश में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)

अधिनियम, 2007 अंतर्गत स्थापित होने वाले समस्त निजी विश्वविद्यालय

3. निम्नांकित संस्थाओं/समितियों के पदेन अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कर्तव्य/शक्तियां
1. अमलगमेटेड एक्स सर्विसमेन बेनीवोलेंट फंड – चेयरमेन
 2. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, एम.पी.ब्रांच – प्रेसीडेंट
 3. म.प्र. बाल कल्याण परिषद – प्रेसीडेंट
 4. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन (एफ्को) – प्रेसीडेंट
 5. मध्यप्रदेश टी.बी. एसोसियेशन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट – संरक्षक
 6. मध्यप्रदेश भारत स्काउट एवं गाईड – संरक्षक
 7. मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति – एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी
 8. मध्यप्रदेश तुलसी मानस प्रतिष्ठान – मुख्यसंरक्षक
 9. Madhya Pradesh Welfare Association
for the Blind Indore – मुख्यसंरक्षक
 10. The Blind Association Bhopal – मुख्यसंरक्षक

2.5- लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य – बिंदु क्रमांक 2.4 के अनुसार

2.6- लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण – निरंक

2.7- लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों का संगठनात्मक ढांचा संलग्न परिशिष्ट "अ" पर

2.8- लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं- निरंक

2.9- जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था – निरंक

2.10- जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

माननीय राज्यपाल महोदय को प्राप्त शिकायतें निराकरण हेतु राज्य शासन को भेजी जाती है।

2.11- मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (पतों का जनपदवार वर्गीकरण)

राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल।

पिन कोड 462003

2.12- कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10.30 बजे
कार्यालय के बंद होने का समय : सायंकाल 05.30 बजे

**अध्याय- 3 (मैनुअल -2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य**

3.1-

पद का नाम	<u>राज्यपाल के प्रमुख सचिव / सचिव</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1 राज्यपाल सचिवालय के विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त शक्तियां
	वित्तीय	1 म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर-1995 के भाग 1 एवं 2 के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय अधिकार
	अन्य	राजभवन सचिवालय की समस्त गतिविधियां इनके निर्देश एवं मार्गदर्शन में संचालित होंगी।
कर्तव्य		उपरोक्तानुसार सौंपी गई शक्तियों का शासन के नियमानुसार पालन करना

पद का नाम	<u>राज्यपाल के सचिव</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>1 राज्यपाल सचिवालय के कार्यालय प्रमुख</p> <p>2 प्रदेश स्थित शासकीय विश्वविद्यालय:- देवी अहिल्या वि. वि. इंदौर, जीवाजी वि.वि. ग्वालियर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा, रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल, भोज मुक्त वि.वि. भोपाल, विक्रम वि.वि. उज्जैन, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन, अटल बिहारी वाजपेजी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची जिला रायसेन, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, पंडित एस. एन.शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल के अधिनियमों के अंतर्गत संबंधित पत्राचार एवं समन्वय।</p> <p>3. प्रदेश स्थित समस्त निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्य।</p> <p>4. आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर माननीय राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट से संबंधित मामले।</p> <p>5. लोक सेवा आयोग एवं लोकायुक्त संगठन की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित कार्य।</p> <p>6. मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड, रेडक्रास सोसायटी, बाल</p>

		कल्याण परिषद तथा विभिन्न संस्थाओं जिनके माननीय राज्यपाल महोदय अध्यक्ष/संरक्षक है से संबंधित कार्य। 7. माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम हेतु संबंधित विभाग/संस्थाओं से समन्वय/पत्राचार तथा यात्रा कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक समन्वय।
	वित्तीय	1 म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर-1995 के भाग 1 एवं 2 के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय अधिकार
	अन्य	1 राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य		सौंपी गई समस्त शक्तियों का नियमानुसार पालन करना

पद का नाम	राज्यपाल के उपसचिव	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>1 राज्यपाल सचिवालय की स्थापना/लेखन सामग्री/लेखा/हाउसहोल्ड से संबंधित कार्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण</p> <p>2 देवी अहिल्या वि.वि.इंदौर, जीवाजी वि.वि. ग्वालियर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा, रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल, बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल, भोज मुक्त वि.वि. भोपाल, विक्रम वि.वि. उज्जैन, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉ. भीम राव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची जिला रायसेन, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, पंडित एस.एन.शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल के अधिनियमों के अंतर्गत संबंधित पत्राचार एवं समन्वय 3 राजभवन में आयोजित कार्यक्रम एवं आमंत्रित अतिथियों/विशिष्ट अतिथियों के आगमन एवं व्यवस्था हेतु समस्त कार्यरत शाखाओं के मध्य समन्वय तथा माननीय को प्राप्त अभ्यावेदन/अपील संबंधित विभागों को प्रेषण एवं उन पर सतत अनुश्रवण</p> <p>4. संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत सजा माफी संबंधी अभ्यावेदन पर पत्राचार।</p>

		5. माननीय के मानद चिकित्सकों की नियुक्ति, वाहन शाखा से संबंधित प्रशासनिक कार्य 6. राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों के व्यक्तिगत स्वत्वों एवं समस्याओं का निराकरण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	1 राज्यपाल के अपर सचिव के अवकाश/प्रवास पर होने पर उनके समस्त कार्यों का निर्वहन 2 राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	सौंपी गई समस्त शक्तियों का नियमानुसार निर्वहन करना

पद का नाम	<u>राज्यपाल के विधि अधिकारी</u>	
कर्तव्य		1 माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति /प्रख्यापन हेतु प्राप्त होने वाले विधेयको एवं अध्यादेशों का परीक्षण करना 2. विधिक प्रकरणों का परीक्षण एवं अभिमत देना 3. संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रस्तुत दया याचिका पर अभिमत देना 4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं पेंशन नियमों के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित अपील/अभ्यावेदनों का परीक्षण एवं अभिमत देना। 5. म.प्र. के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों पर आवश्यकतानुसार विधिक अभिमत 6. माननीय राज्यपाल महोदय तथा राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अन्य आवंटित कार्य।

पद का नाम	<u>नियंत्रक हाउसहोल्ड</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. राजभवन हाउसहोल्ड कक्ष के प्रभारी के रूप में विधिक, कार्मिक एवं प्रशासनिक कार्य।
	वित्तीय	निरंक

	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1 2 3 4	राजभवन का संपूर्ण रखरखाव एवं सामग्री प्रबन्धन। माननीय राज्यपाल तथा उनके परिवार तथा अतिथियों की समस्त व्यवस्थायें। राजभवन में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा संबंधी समस्त व्यवस्थायें राजभवन में समय-समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य कार्यक्रमों संबंधी व्यवस्था
पद का नाम	राज्यपाल के अवर सचिव (वित्त) (लेखा अधिकारी)	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. कक्ष के स्टॉफ पर प्रशासकीय नियंत्रण एवं स्थापना
	वित्तीय	1 राज्यपाल सचिवालय के आहरण एवं संवितरण का कार्य 2 राज्यपाल (भत्ते व परिलब्धियां) नियम 1987 के अंतर्गत प्रावधानित राशि से संबंधित कार्य
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1 2 3 4 5 6	राज्यपाल के सचिवालय के लेखा, वित्त, बजट से संबंधित कार्य माननीय के यात्रा प्रवास संबंधी व्ययों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही राजभवन में समय-समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य कार्यक्रमों संबंधी व्यवस्था कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित स्वत्वों का भुगतान समय पर होने बाबत कार्यवाही कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करना राजभवन परिसर में कार्यरत बैंक एवं पोस्ट आफिस से समन्वय

पद का नाम	राज्यपाल के परिसहाय	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. परिसहाय कार्यालय के स्टॉफ का प्रशासनिक नियंत्रण 2. राजभवन के सुरक्षा संबंधी समस्त प्रशासकीय कार्यों पर नियंत्रण 3. राजभवन गैरेज का प्रशासकीय नियंत्रण.
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य

कर्तव्य	1	माननीय की आवश्यकतानुसार संपूर्ण समय (24घंटे) अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखना।
	2	शहर में आयोजित कार्यक्रमों में माननीय के जाने/आने की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना तथा माननीय के साथ रहना।
	3	माननीय के प्रवास से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना तथा साथ रहना
	4	राजभवन में पधारने वाले विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अतिथियों को रेल्वे स्टेशन/हवाई अड्डा जाकर रिसीव तथा सी-आफ करना
	5	माननीय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन उपरांत एगेंजमेंट डायरी तैयार करना एवं आने वाले आगंतुकों को उपस्थिति समय की जानकारी देना
	6	माननीय के आगमन/प्रस्थान के समय संबंधित वाहन एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना
	7	राजभवन में राष्ट्रीय झंडा का आरोहन/अवतरण तथा रेड लाइट चालू/बंद हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना
	8	माननीय के कार्यक्रम के संबंध में राज्यपाल सचिवालय के मध्य समन्वय
पद का नाम	राज्यपाल के विशेष सहायक	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. कक्ष से संबंधित स्टॉफ का प्रशासकीय नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1	माननीय को प्राप्त ज्ञापन, शिकायत, मांग, याचिकाएँ एवं
	2	अपील से संबंधित पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करना।
	3	लोक सूचना अधिकारी राजभवन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन।
	4	दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना नववर्ष, दीपावली, ईद आदि पर्व के शुभकामना पत्रों का प्रेषण एवं सूची अद्यतन रखना। राजभवन में आयोजित
	5	राष्ट्रीय पर्वों एवं कार्यक्रमों के आमंत्रण सूची अद्यतन कर प्रेषण।
	6.	शासन से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संबंधी नस्तियों का संधारण एवं टीप सहित प्रमुख सचिव/सचिव/माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना।
	7..	विविध पुरस्कार यथा इंदिरा गांधी, जीवन रक्षा पदक, पद्मश्री, राष्ट्रपति पदक आदि से संबंधित पत्राचार
पद का नाम	राज्यपाल के प्रेस अधिकारी	
शक्तियां	प्रशासकीय	प्रेस कक्ष के स्टॉफ का प्रशासकीय नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक

	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
कर्तव्य	1 2 3 4 5	प्रेस प्रतिनिधियों/जनसंपर्क विभाग से प्रभावी समन्वय प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/स्थानीय घटना का संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवरण प्रतिदिन माननीय के अवलोकनार्थ तैयार करना माननीय के उद्बोधन/भाषण का प्रारूप तैयार कर प्रमुख सचिव /सचिव से अनुमोदन प्राप्त करना माननीय के कार्यक्रमों का प्रकाशन/प्रसारण प्रभावी ढंग से करना माननीय के संदेश तैयार करना
पद का नाम	<u>सहायक सत्कार अधिकारी</u>	
		राजभवन भोपाल एवं राजभवन पचमढ़ी की सत्कार संबंधी समस्त व्यवस्थाएं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
पद का नाम		<u>कैटरिंग मैनेजर</u>
कर्तव्य	1. 2.	राजभवन की खानपान से संबंधी समस्त व्यवस्थाएं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के निर्देशानुसार अन्य आवंटित कार्य
पद का नाम	<u>राज्यपाल के निज सचिव</u>	
कर्तव्य	1 2 3 4 5 6 7.	माननीय के व्यक्तिगत पत्राचार एवं राष्ट्रीय पर्वों के शुभकामना संदेशों का प्रेषण एवं अद्यतन सूची संधारण माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों, माननीय लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, म.प्र. लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां एवं अवकाश संबंधी नस्तियों का संधारण माननीय के राज्य के बाहर की यात्राओं की अनुमति राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त करना माननीय राज्यपाल के नाम से प्राप्त पत्रों को माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना शासन से प्राप्त विधेयकों/अध्यादेशों पर माननीय की अनुमति प्राप्त कर शासन को प्रेषित करना। माननीय राष्ट्रपति महोदय को मासिक प्रतिवेदन समय पर तैयार कर प्रेषित करना। माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीपरिषद के सदस्यों की शपथ/त्यागपत्र/विभागों का वितरण आदि से संबंधित समस्त कार्यों की नस्तियों का संधारण।

पद का नाम	<u>सुरक्षा अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक</u>	
शक्तियां	प्रशासकीय	राजभवन में कार्यरत सुरक्षा स्टॉफ पर नियंत्रण
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	सुरक्षा के संबंध में परिसहाय से समन्वय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, अपर सचिव एवं उपसचिव द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यवाही।
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय एवं उनके परिवार तथा राजभवन की सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य
पद का नाम	<u>राज्यपाल के निज सहायक</u>	
शक्तियां	अन्य	राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, उपसचिव /अपर सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय के व्यक्तिगत कार्यों एवं व्यवस्था की देखरेख।
	2.	राज्यपाल के निज सचिव को आवंटित समस्त कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

पद का नाम	<u>राज्यपाल के ओ.एस.डी.</u>	
कर्तव्य	1	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सौंपे गए समस्त कार्यों का निर्वहन करना

राजभवन – मध्यप्रदेश

अध्याय – 4 (मैनुअल – 3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1

अभिलेख का नाम – राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम 1982	अभिलेख का प्रकार – विनियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – राज्यपाल के वेतन भत्ते के संबंध में उपरोक्त नियम की प्रति प्राप्ति हेतु पता –	राजभवन-मध्यप्रदेश भोपाल दूरभाष – 0755 –2858817 फैक्स – 0755 – 2858825 ई0मेल – mp rajbhavan@ mp.gov.in

अभिलेख का नाम –	अभिलेख का प्रकार – विनियम
1. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 2. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 3. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 4. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 1991 5. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 6. इंडियन रेडक्रास सोसायटी म.प्र. ब्रांच रेग्युलेशंस 7. म.प्र. बाल कल्याण परिषद, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेग्युलेशंस 8. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 9. ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (राजमाता विजयाराजे सिंधिया) 10. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 11. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 12. नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 14. म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 15. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम –2015 16. सांची बौध्द-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम –2012, 17. पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम-2016	
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय –संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के संचालन हेतु उपरोक्त नियम की प्रति प्राप्ति हेतु पता	संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः
व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
दिनांक 24.06.2019 से विश्वविद्यालय में अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान लागू है।	
6 सदस्यों का नामांकन होना है। सभी स्थान रिक्त है।	

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(दो) उपांतरित के तहत कार्यपरिषद्
में छः व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
दिनांक 15.02.2019 से विश्वविद्यालय में अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील है।	
1. डॉ. योगेश रघुवंशी, 11, जयप्रकाश मार्ग, पीठारोड, देवास (म.प्र.) मो. 98932-76707	
2. डॉ. आलोक कुमार राय, प्रोफेसर, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, बनारस (उ.प्र.) मो. 094156-84935	
3. श्री सचिन दवे, 24, तेनसिंह मार्ग, धार (म.प्र.) मो. 98273-08286	
4. श्रीमती उषा जाटवा, 3, ओरा पार्क कालोनी, मक्सी रोड, उज्जैन(म.प्र.) मो. 70003-78403	
5. श्रीमती शेवन्ती भगत, हमीर सिंह नगर, उनाव रोड, दतिया (म.प्र.) मो. 94246-55844	
6. डॉ. भारती सतनकर, बी-4/201, आकृति ग्रीन, सलइया, बाबडीया कला, भोपाल-462003 मो. 80854-25888	
<u>इनका कार्यकाल अधिसूचना के प्रवर्तन तक रहेगा</u>	

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः
व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग	
1. श्री अनूप अग्रवाल, 105, अमलतास बिल्डिंग, ग्रीन गार्डन स्टेट, सिटी सेंटर, ग्वालियर-474001 मोबाईल 98270-61563	दिनांक 26.02.2019 से दिनांक 25.02.2022 तक
2. डॉ. मनेन्द्र सिंह सोलंकी, निवासी पनिहार, जिला, ग्वालियर (म.प्र.)	दिनांक 18.07.2019 से दिनांक 17.07.2022 तक
3. रिक्त	दिनांक 11.07.19 से
अनुसूचित जाति प्रवर्ग	
4. रिक्त	दिनांक 29.09.219
अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग	
5. डॉ. (श्रीमती) रश्मि कुजूर, 6, चिनाव अपार्टमेंट, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर मो.नं. 96179-95901	दिनांक 25.04.2018 से दिनांक 24.04.2021 तक
अन्य पिछड़ा प्रवर्ग	
6 एड. वीरेन्द्र गुर्जर, गली नं. 02, नाका चन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) मो. 98262-39908, 98272-39908	दिनांक 18.07.19 से दिनांक 17.07.2022 तक

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः
व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग	
1 श्रीमती कांति रावत मिश्रा, 82, न्यू राम नगर कालोनी, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) मो. 9425151125, फोन नं. 0761-2460309	दिनांक 13.02.2019 से दिनांक 12.02.2022 तक
2 श्री निखिल अरुण देशकर, 807, "सुरुचि" स्नेह नगर, जबलपुर-482002 (म.प्र.) मो. 94251-54256	दिनांक 06.07.2018 से दिनांक 05.07.2021 तक
3 रिक्त	दिनांक 12.08.2019
अनुसूचित जाति प्रवर्ग	
4. डॉ.मनोज आर्या, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, भोपाल (निवास 17, एम.एल.ए. क्वार्टर्स, जवाहर चौक, भोपाल) मो. 94250-13973, फोन नं. 0755-2779973(नि.)	दिनांक 18.07.2019 से दिनांक 17.07.2022 तक
अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग	
5. रिक्त	दिनांक 14.06.19 से
अन्य पिछड़ा प्रवर्ग	
6. रिक्त	दिनांक 14.06.19 से

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः
व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
<u>अनारक्षित वर्ग</u>	
1 डॉ. क्षितिज पुरोहित, 1/7, हाऊसिंग कालोनी, मंदसौर-458001 (म.प्र.) मो. 94251-05610	दिनांक 06.07.2018 से दिनांक 05.07.2021 तक
2 श्री रवीन्द्र चौहान, सरकार गार्डन के पास, आदित्यपुरम, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	दिनांक 06.07.2018 से दिनांक 05.07.2021 तक
3 डॉ. के.के. त्रिपाठी, ग्राम भालुहा, पो.आ. रामनी, जिला रीवा-486001 (म.प्र.) मो.94246-38226, 87708-10141	दिनांक 17.07.2019 से दिनांक 17.07.2022 तक
<u>अनुसूचित जाति</u>	
4 रिक्त	दिनांक 14.06.2019 से
<u>अनुसूचित जन जाति</u>	
5 रिक्त	दिनांक 01.06.2019 से
<u>अन्य पिछड़ा वर्ग</u>	
6 श्री अजय सिंह, "हरिहरपुर बखारी" एल.आई.जी. 2/22/392, नेहरू नगर, रीवा-486001 मो. 98270-88450, 94243-15174 दिनांक 28.01.2019 से	दिनांक 13.02.2019 से दिनांक 12.02.2022 तक

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः
व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग	
1 श्री मनोरंजन मिश्रा, कलाम हाउस, एच 718, अरविन्द विहार, बाग मुगालिया, भोपाल-462043 (म.प्र.)मो. 93100-04455	दिनांक 22.02.19 से दिनांक 21.02.22 तक
2 श्रीमती पुष्पा पाटीदार, सी-46/6, ऋषि नगर एक्सटेंशन-2, उज्जैन-456010 (म.प्र.) मो. 90095-97369, 98265-79595	-तदैव-
3 श्रीमती पिकेश रघुवंशी, 33, शंकर सदन, किरी मोहल्ला, विदिशा (म.प्र.) मो. 99267-06177	-तदैव-
अनुसूचित जाति	
4 श्री किशन सूर्यवंशी, बी-16, मनोरमा इंकलैब, वैशाली नगर, भोपाल-462003 मो. 94250-29429, 98260-52133	-तदैव-
अनुसूचित जन जाति	
5 डॉ. विजय आनंद मरावी, मकान नं. 1, शताब्दीपुरम, नर्मदा हॉस्पिटल के पीछे, विजयनगर, जबलपुर (म.प्र.) मो. 82250-74894	-तदैव-
अन्य पिछड़ा वर्ग	
6 डॉ. सुनीता सिंह, म.नं. 4, लोटस विला, ग्रीन मेडोस, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 मो. 94256-07064	-तदैव-

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(1)(आठ) के तहत कार्यपरिषद् में छः
व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
अनारक्षित वर्ग :	
1 डॉ. नितेश शर्मा, ए-1, प्रगति विहार कालोनी, गोला का मंदिर, ग्वालियर-474005 (म.प्र.) मो. 98260-68491	दिनांक 13.02.19 से दिनांक 12.02.22 तक
2 प्रो. राजपाल सिंह, डी/9, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल-462023 (म.प्र.) मो. 94250-28689	-तदैव-
3 श्रीमती निर्मला नायक, अधिवक्ता, 57, मानवलोक सोसायटी, रतननगर, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.) फोन : 0761-4005550, मो. 98931-63368, 89890-85888	-तदैव-

अनुसूचित जाति वर्ग :

4 प्रो. खेमसिंह डहेरिया, टाईप-IV, ए-6, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कैंपस, लालपुर, अमरकंटक जिला अनूपपुर (म.प्र.) 484887 मो. 94246-84608, 98263-44608	-तदैव-
---	--------

अनुसूचित जनजाति वर्ग :

5 श्रीमती अंजू सिंह पोर्ते, वार्ड 08, विवेक नगर, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) 485771 मो. : 83590-56178	-तदैव-
--	--------

अन्य पिछड़ा वर्ग :

6 श्रीमती कृति पटेल, 470/1, हरबंस होम्स, पटेल स्टील सेंटर के पीछे, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.) मो. 94796-39498, 93299-98595	-तदैव-
---	--------

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 11(1) के तहत प्रबंध
मण्डल में व्यक्तियों का नामनिर्देशन

नाम	अवधि
1 <u>धारा 11(1)(5)– कृषि, ग्रामीण विकास या शिक्षा की पृष्ठभूमि वाले 02 विख्यात वैज्ञानिक</u>	
(1) श्री रघुराज किशोर तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, (जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि.), 203/5, संतोश दशेला पादरा के पास, रीवा(म.प्र.)	दिनांक 07.10.2019 से दिनांक 06.10.2019 तक
(2) डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा, निदेशक, अनुसंधान सेवाएँ, (जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि.) बी-6, कृषि नगर, आधारतल जबलपुर-482004	—तदैव—
2 <u>धारा 11(1)(6)– 02 प्रगतिशील किसान</u>	
(1) श्री नारायण सिंह पटेल, विक्रम फार्म, करकबेल, जिला नरसिंहपुर	—तदैव—
(2) रिक्त	—तदैव—
3 <u>धारा 11(1)(7)(दो) –01 प्रतिभाशाली महिला कार्यकर्ता अधिमानतः जो ग्रामीण उन्नति सम्बन्धी पृष्ठभूमि रखती हो</u>	
(1) श्रीमती पुनीता अग्रवाल, दिल्ली	दिनांक 13.01.2017 तक दिनांक 12.01.2020 तक
4 <u>धारा 11(1)(7)(तीन) – 01 विख्यात इंजीनियर</u>	
(1) डॉ. विनय कुमार पाठक, कुलपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी वि.वि. लखनऊ (उ.प्र.)	दिनांक 07.10..2019 से दिनांक 06.10..2019 तक
5 <u>धारा 11(1)(7)(चार) – 01 विख्यात शिक्षाविद</u>	
डॉ. रामजीवन सिंह ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, भोपाल (म.प्र.)	—तदैव—
6 <u>धारा 11(1)(11) – 01 विख्यात चिकित्साविद जिसे देशी औषधियों में विशिष्टता प्राप्त हो ।</u>	
रिक्त	---

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25(1) के अंतर्गत
विश्वविद्यालय के प्रमण्डल में माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित सदस्यों की स्थिति

क्र.1	कुलपति	प्रो. प्रदीप कुमार बिसेन	कार्यकाल 23.11.2017 से 22.11.2022
-------	--------	--------------------------	-----------------------------------

1. **धारा 25(1)(तीन) के अंतर्गत कृषि/शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रख्यात व्यक्ति :-**
 1. डा. नंदलाल इदनानी, दिनांक 23.06.2018 से
1/13 न्यू राम नगर, दिनांक 22.06.2021 तक
कालीमाता का मंदिर रोड,
आधारताल,
जबलपुर
 2. डॉ. आर.एस. त्रिपाठी, दिनांक 23.06.2018 से
बाल्मीक सदन, दिनांक 22.06.2021 तक
गली नं.2,
राजेन्द्र नगर,
सतना

2. **अधिनियम की धारा 25(1)(चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रख्यात प्रगतिशील कृषक :-**
 1. श्री ओम ठाकुर, दिनांक 23.06.2018 से
बरघाट रोड, दिनांक 22.06.2021 तक
नियर ग्राम पंचायत रोड,
सिवनी
 2. श्री अश्विनी सिंह चौहान, दिनांक 26.06.2018 से
ग्राम पोस्ट-पीपल्याहामा, तह. घट्टिया, दिनांक 22.06.2021 तक
जिला उज्जैन

3. **अधिनियम की धारा 25(1)(पांच) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से जुड़ी प्रख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता :-**

श्रीमती आशा अरुण यादव, दिनांक 23.06.2018 से
म.नं. बी-159, जयंत परियोजना, दिनांक 22.06.2021 तक
जिला सिंगरौली - 486890

4. **धारा 25(1)(छः) के अंतर्गत पशु पालन क्षेत्र में शोध/शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक :-**
 1. डॉ. बकुल लाड, दिनांक 23.06.2018 से
11 सागर परिसर, दिनांक 22.06.2021 तक
जी- /ई-8 शिवाय कॉम्प्लैक्स
भोपाल (म.प्र.)

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

कुलपति	डॉ. सुनील कुमार	कार्यकाल 21.06.2017 से 20.06.2021
--------	-----------------	-----------------------------------

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 की धारा 25(1) के अंतर्गत
कार्यपरिषद में नामनिर्देशन

अधिनियम की धारा 25(1)(छः) के अंतर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं के
2 प्राचार्य (शासकीय सदस्य) :-

नाम	अवधि
1. प्रो. जे.एस. चौहान, संचालक, सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान, विदिशा।	दिनांक 24.04.2018 से 23.04.2021
2. डॉ. राकेश सक्सेना, संचालक, श्री गोविन्दराम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड साइंस इन्दौर।	दिनांक 24.04.2018 से 23.04.2021

अधिनियम की धारा 25(1)(आठ) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/सम्बद्ध
महाविद्यालयों या संस्थाओं के 2 आचार्य (शासकीय सदस्य) :-

नाम	अवधि
1. प्रो. एस.एस. भदौरिया, आचार्य सिविल, यू.आई.टी. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।	दिनांक 13.12.2018 से 12.12.2021 तक
2. प्रो. संजय सिलाकारी, आचार्य कम्प्यूटर साइंस, यू.आई.टी., राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।	दिनांक 13.12.2018 से 12.12.2021 तक

अधिनियम की धारा 25(1)(नौ) के अंतर्गत सम्बद्ध पॉलिटेक्निकों से 2 विभागाध्यक्ष (शासकीय सदस्य) :-

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
1. <u>डॉ. राजेन्द्र कुमार चौदहा,</u> <u>विभागाध्यक्ष,</u> <u>कमर्शियल प्रेक्टिस,</u> <u>शासकीय महिला पॉलीटेक्निक</u> <u>महाविद्यालय,</u> <u>पन्ना</u>	<u>दिनांक 22.11.2018 से 21.11.2021</u> <u>तक</u>
2. <u>अमर सिंह राठौर,</u> <u>रख रखाव प्रकोष्ठ,</u> <u>एस.व्ही. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,</u> <u>भोपाल</u>	<u>दिनांक 22.11.2018 से 21.11.2021</u> <u>तक</u>

अधिनियम की धारा 25(1)(बारह) के अंतर्गत तकनीकी तथा प्रबंधकीय अनुभव रखने वाले 2 प्रतिष्ठित उद्योगपति (अशासकीय सदस्य) :-

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
1. <u>श्री हरीश कुमार रीझवानी,</u> <u>959 /2, साउथ सिविल लाईन्स,</u> <u>जबलपुर</u> <u>मो. नं.: 93001-28119</u>	<u>दिनांक 24.06.2017</u> <u>से 23.06.2020 तक</u>
2. <u>श्री अनुपम चौकसे,</u> <u>31, श्यामला हिल्स, भारत भवन रोड,</u> <u>भोपाल - 462002</u> <u>फोन नं.: 0755-2733930</u> <u>मो.नं.: 93031-32147, 98930-44607</u>	<u>दिनांक 24.06.2017</u> <u>से 23.06.2020 तक</u>

अधिनियम की धारा 25(1)(तेरह) के अंतर्गत किसी राष्ट्रीय तकनीकी संस्था से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र का 1 शिक्षाविद (शासकीय सदस्य) :-

नाम	अवधि
श्री प्रदीप के. चांदे, डी.-36, एच.आई.जी., ए.बी. रोड, इन्दौर	दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2021 तक

अधिनियम की धारा 25(1)(तेरह-क) के अंतर्गत तीन व्यक्ति, जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य प्रवर्गों में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन तीन व्यक्तियों में से एक महिला होगी (अशासकीय सदस्य) :-

नाम	अवधि
1 <u>अनारक्षित वर्ग</u> डॉ. सचिन शर्मा, 31/1 मोती तबेला, इन्दौर मो. 9826604747	दिनांक 29.06.2018 से 28.06.2021 तक
<u>अनुसूचित जनजाति वर्ग</u> श्री संजय कुशराम द्वारा श्री हरिश पटेल, सरदार पटेल वार्ड, बिनजिया मडला मध्यप्रदेश मो. 7879159195, 8120253004	दिनांक 03.07.2018 से 02.07.2021 तक
3 <u>अनुसूचित जाति वर्ग</u> डॉ. मंजू मुकुल काम्बले, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ हिन्दी, दिल्ली विश्वविद्यालय, फ्लेट नं. 17, माधवकुंज अपार्टमेन्ट सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली, मो. नं. 9971230599	दिनांक 14.10.2016 से 13.10.2019 तक

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

कुलपति	डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल,	कार्यकाल 26.02.2016 से 25.02.2020
--------	------------------------	-----------------------------------

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अधिनियम, 2009 की धारा 22(2) के तहत बोर्ड में नामनिर्देशन

(क) पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध, शिक्षण और विस्तारी शिक्षा में विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षाविद् ;

नाम	अवधि
-----	------

(1) डॉ. आर.के. मेहिया,
ई-109/29 शिवाजी नगर,
भोपाल
(मो.नं.: 9425487280) 22.07.2019 से 21.07.2022 तक

(2) रिक्त

(ग) पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्योगों का एक प्रतिनिधि (अशासकीय सदस्य) ;

नाम	अवधि
-----	------

(1) श्री मोहन नागर
भारत भारती आवासीय
विद्यालय परिसर जामठी
बैतूल म.प्र.
(मो.नं.: 945003189) 22.07.2019 से 21.07.2022 तक

(घ) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता (अशासकीय सदस्य) ;

नाम	अवधि
-----	------

(1) श्रीमती राधा मिश्रा,
शिव शक्तिपुरम कालोनी,
धावरी गली नं.
सतना म.प्र.
(मो.नं.: 90479480751) 22.7.2019 से 21.07.2022 तक

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

कुलपति	डॉ. एस.के. राव,	कार्यकाल 26.10.2017 से 25.10.2022
--------	-----------------	-----------------------------------

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधिनियम, 2009 की धारा 27(2) के तहत बोर्ड में नामनिर्देशन

धारा 27(2)(तीन) के अंतर्गत कृषि में अनुसंधान या शिक्षा का पूर्वानुभव रखने वाले दो विख्यात कृषक (एग्रीकल्चरिस्ट) –

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
(1) श्री विजय सिंह तोमर, डी.एच. 33 ए, डी.डी.नगर, मुरार, ग्वालियर	दि. 24.04.2018 से दि. 23.04.2021 तक
(2) डॉ. आशुतोष अनिरुद्ध मुरकटे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट आई.सी.ए.आर., सी.सी.आर.आई, नागपुर-440033	दि. 02.07.2019 से 01.07.2022 तक

धारा 27(2)(चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रगतिशील कृषक (अशासकीय सदस्य) –

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
(1) श्री शिवराज शर्मा, (खासखेड़ा वाले) बाल निकेतन रोड, गांधी कॉलोनी मुरैना	दि. 24.04.2018 से 23.04.2021 तक
(2) श्री रंजीत राणा, ग्राम वीरमपुरा, मुरार, ग्वालियर	दि. 24.04.2018 से 23.04.2021 तक

धारा 27(2)(पांच) के अंतर्गत ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता (अशासकीय सदस्य) –

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
(1) डॉ. सुनन्दा सिंह रघुवंशी, ई-7/59 एस.बी.आई. कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	दि. 20.06.2018 से 19.06.2021 तक

धारा 27(2)(छः) के अंतर्गत एक पशु चिकित्सा या पशुपालन वैज्ञानिक, जिसे पशु चिकित्सा या पशुपालन के अनुसंधान या शिक्षा का अनुभव हो –

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
(1) डॉ. प्रवीण शिंदे, पशु चिकित्सक, एफ-108/29, शिवाजी नगर, भोपाल	दि. 24.04.2018 से 23.04.2021 तक

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 17(2)(छ:) के अन्तर्गत कार्यपरिषद में नामनिर्देशन

अधिनियम की धारा 17(2)(छ:) के अन्तर्गत 6 व्यक्तियों का नामनिर्देशन जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रत्येक का एक व्यक्ति होगा तथा इन छः व्यक्तियों में से दो महिलाएं होंगी :-

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
1. <u>सामान्य प्रवर्ग</u> श्री हरीश मंगल, बंगला नं. 6, नूतन स्कूल के पास, प्रताप मार्ग, नीमच । मो. 9827257741	दिनांक 04.10.2018 से 03.10.2021 तक
2. <u>सामान्य प्रवर्ग</u> डॉ. सुनीता थत्ते, व्याख्याता (संस्कृत), शासकीय महाराजा शिवाजीराव, उ.मा. विद्यालय, इन्दौर	दिनांक 04.10.2018 से 03.10.2021 तक
3. <u>सामान्य प्रवर्ग</u> श्रीमती बंदना नाफडे, सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर	दिनांक 04.10.2018 से 03.10.2021 तक
4. <u>अन्य पिछड़ा प्रवर्ग</u> श्री भरत बैरागी, यशोदा विहार, 97 त्रिमूर्ति नगर, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने, रतलाम । मो. 9425048195	दिनांक 04.10.2018 से 03.10.2021 तक
5. <u>अनुसूचित जाति प्रवर्ग</u> श्री कौशल मेहरा, 86, कावेरी विहार, खण्डवा । मो. 7000807549	दिनांक 04.10.2018 से 03.10.2021 तक
6. <u>अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग</u> श्री केशर सिंह चौहान, 4 दीनदयालपुरम कॉलोनी, (दहाना), जिला धार । मो. 9485891183	दिनांक 04.10.2018 से 03.10.2021 तक

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 की धारा 9(12) एवं 21(1) (चार) के अन्तर्गत नामनिर्देशन

(1) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 9(12) के अन्तर्गत एक नामांकित साधारण परिषद सदस्य :-

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
1. <u>डॉ. एस.एल. कंडारा,</u> <u>टॉप ग्रेड आर्टिस्ट, आकाशवाणी-दूरदर्शन,</u> <u>रिटायर्ड चीफ प्रोड्यूसर/डायरेक्टर,</u> <u>दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली/भोपाल,</u> <u>बी.-51, आकृति गार्डन,</u> <u>नेहरू नगर, भोपाल</u>	<u>दिनांक 03.02.2016 से 02.02.2019</u>

(2) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 21(1)(चार) के अन्तर्गत एक नामांकित विद्या परिषद सदस्य :-

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>
1. <u>रिक्त</u>	<u>रिक्त</u>

पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल

कुलपति	डॉ. मुकेश कुमार तिवारी	कार्यकाल 12.08.2017 से 11.08.2021
--------	------------------------	-----------------------------------

पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 की धारा 17 के अन्तर्गत शासी निकाय में नामनिर्देशन

(अ) विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 की धारा 17 (आठ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट होंगे

नाम	अवधि
1. प्रो. व्ही.के. जायसवाल, संकायाध्यक्ष भाषा संकाय।	दिनांक 02.08.2018 से दिनांक 01.08.2021 तक
2. प्रो. भरतशरण सिंह संकायाध्यक्ष जीव विज्ञान संकाय।	तदैव
3. प्रो. पी.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष फिजिकल साइंस संकाय।	तदैव

(ब) विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 की धारा 17 (नौ) के अन्तर्गत तीन आचार्य, विश्वविद्यालय संकायाध्यक्षों को छोड़कर, जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट होंगे

नाम	अवधि
1. प्रो. पी.के. पाण्डेय प्राध्यापक भौतिक शास्त्र एवं विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स	दिनांक 02.08.2018 से दिनांक 01.08.2021 तक
2. प्रो. श्रीमती सुनीता बाथरे प्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं विभागाध्यक्ष	तदैव
3. प्रो. श्रीमती टी.एम. श्रीवास्तव प्राध्यापक समाजशास्त्र एवं विभागाध्यक्ष	तदैव

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011के अन्तर्गत साधारण
परिषद में नामांकित सदस्य :-

1. धारा-11(2)(दस) के अन्तर्गत -

- i. डॉ. मनोज खन्ना, अवधि
एसोसियेट प्रोफेसर, दि. 14.10.2016 से
डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स, दि. 13.10.2020 तक
भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ
एप्लाइड साइंस,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
बी-16 / 18 माडल टाउन,
नई दिल्ली 011-27673415,
919868348934, 919013490320
- ii. डॉ. श्रीमती इनाक्षी चतुर्वेदी, अवधि
पी.-7, यूनिवर्सिटी कैम्पस, दि. 14.10.2016 से
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दि. 13.10.2020 तक
जयपुर
09928869696, 093114508126

2. धारा-11(2)(ग्यारह) के अन्तर्गत -

- i. डॉ. अवनिजेश अवस्थी, अवधि
एसोसिएट प्रोफेसर, दि. 14.10.2016 से
हिन्दी विभाग, पी.जी.डी.ए.वीकॉलेज, दि. 13.10.2020 तक
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,
41, जगदम्बा अपार्टमेन्ट्स,
सेक्टर-13, रोहिणी,
दिल्ली - 110085
मो. 9810364096

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011के अन्तर्गत कार्यपरिषद
में नामांकित सदस्य -विश्वविद्यालय के अधिनियम 2011 की धारा 17की उप धारा
(2)खण्ड 6 के अन्तर्गत मनोनीत सदस्य :-

1. प्रो. कुमुद शर्मा, अवधि
प्रोफेसर दिनांक 10.01.2019 से
हिन्दी विभाग, 09.01.2022 तक
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।
2. श्री ए.के. पाण्डेय, तदैव
पूर्व अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
मध्यप्रदेश।

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में कार्यपरिषद के सदस्यों की सूची :-



म0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 24 (1) (दस) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में चिकित्सा क्षेत्र के निम्नांकित सदस्यों का दिनांक 05.05.2017 से 04.05.2020 तक की कालावधि के लिए नामांकन किया गया है :-

1. डॉ0 चन्द्रेश शुक्ला, भोपाल दिनांक 05.05.2017 से 04.05.2020
2. डॉ0 मनोज पाराशर, जबलपुर दिनांक 05.05.2017 से 04.05.2020

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रबंध मण्डल में सदस्यों के नामांकन की सूची:—

—:—

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 15 सहपठित परिनियम क्रमांक-5 की उपधारा (2)(3)(4) एवं (5) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को दिनांक 22.06.2018 से 21.06.2021 तक की अवधि के लिए सदस्य नामांकित किया गया है :-

1. धारा 15(2)के अंतर्गत निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक
डॉ0 कौशल कुमार मिश्रा 22.06.2018 से 21.06.2021
 2. धारा 15(3)के अंतर्गत प्रोफेसर
डॉ0 एल0पी0 झारिया ---"---
 3. धारा 15(4)के अंतर्गत रीडर
डॉ0 वर्षा सगोरकर ---"---
 4. धारा 15(5)के अंतर्गत लेक्चरर
डॉ0 सलेहा सिद्दीकी ---"---
 5. धारा 15(6)के अंतर्गत एक विशेषज्ञ अवधि
डॉ0 पंकज एल. जानी, 11.02.2019 से 10.02.2022
कुलपति,
डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद ।
 6. धारा 15(7)के अंतर्गत दो विशेषज्ञ
 1. डॉ0 आर0के0तिवारी, 11.02.2019 से 10.02.2022
एसोसियेट प्रोफेसर,
जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।
 2. श्री मदन मोहन शर्मा, 11.02.2019 से 10.02.2022
चार्टर्ड विद्युत अभियंता,
प्रदेश उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती,
फैक्टरी कंट्रोल सिस्टम प्लॉट नं0 23 सेक्टर-1,
गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
भोपाल ।
-

(म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 22 (1) उपधारा (घ) के प्रावधान अंतर्गत) माननीय कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा शासी निकाय/प्रबंध बोर्ड में नामांकित सदस्य (दिनांक 27.04.2019 की स्थिति)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम एवं शासी निकाय के सदस्यों के नाम	नामांकित सदस्यों का अनुमोदन माह
1	2	3

- (1) रविन्द्रनाथ टैगोर निजी विश्वविद्यालय, रायसेन *(फरवरी, 2016)*
- डॉ0 राजेश श्रीवास्तव, उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थान, भोपाल
 - श्री कैलाश पंत, हिन्दी भवन, भोपाल
 - श्रीमती प्रीति उपाध्याय, भोपाल
- (2) आई0टी0एम0 निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर *(सितम्बर, 2011)*
- डॉ0 राजकुमार जैन, दिल्ली
 - डॉ0 नीलिमा चंदेल, ग्वालियर
 - श्री अशोक वाजपेयी, नई दिल्ली
- (3) ए0के0एस0 निजी विश्वविद्यालय, सतना *(मई, 2016)*
- प्रो0 कपिल देव मिश्रा, चित्रकूट
 - डॉ0 आर0एन0पटेल, रीवा
 - डॉ0 नविता श्रीवास्तव, रीवा
- (4) टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिंरोज, विदिशा *(दिसम्बर, 2012)*
- प्रो0 पी0के0वर्मा, भोपाल
 - प्रो0 पी0सी0त्रिवेदी, गोरखपुर
 - प्रो0 आर0के0पाण्डेय, भोपाल
- (5) एमिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर *(सितम्बर, 2015)*
- श्री राजेश कुमार दीक्षित, भोपाल
 - श्री राजेश सिंह, अमरावती
 - डॉ0 भूपेन्द्र नाथ तिवारी, बिलासपुर
- (6) जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, भोपाल *(सितम्बर, 2013)*
- डॉ0 विनय पाठक, राजस्थान
 - डॉ0 अरुण कुमार पाण्डेय, दिल्ली
 - डॉ0 एस0एम0पाल खुराना, हरियाणा
- (7) श्री सत्यसाईं टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंस निजी विश्वविद्यालय, सीहोर *(फरवरी, 2014)*
- श्री राजेश कुमार सिंह, भोपाल

- (8) 2. श्री जुनेद अली, भोपाल
3. श्री गुलशन कपूर, इन्दौर
एल0एन0सी0टी0 निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (सितम्बर, 2015)
1. डॉ0 बी0के0 शर्मा,
2. श्री सुदेश कुमार,
3. डॉ0 आर0एन0 यादव, भोपाल
- (9) स्वामी विवेकानन्द निजी विश्वविद्यालय, सागर (नवम्बर, 2015)
1. डॉ0 ए0के0ग्वाल
2. डॉ0 यशवंत सिंह ठाकुर
3. डॉ0 प्रभात कुमार
- (10) ओरिएन्टल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (नवम्बर, 2015)
1. श्री राजेन्द्रनाथ मेहरोत्रा, ग्वालियर
2. श्री रमेश गुप्ता, उद्योगपति, इन्दौर
3. श्री अनिल खरिया, उद्योगपति, इन्दौर
- (11) पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (अगस्त, 2015)
1. प्रो0 शकूर खान, भोपाल
2. डॉ0 आनंद सक्सेना, भोपाल
3. श्री रमेश तिवारी, भोपाल
- (12) जे0पी0 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी निजी विश्वविद्यालय, राघोगढ़ गुना (मार्च, 2011)
1. डॉ0 पी0के0मिश्रा, इन्दौर
2. प्रो0 बृजेन्द्र सिंह, भोपाल
3. प्रो0 एस0पी0सिंह, इन्दौर
- (13) रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (फरवरी, 2016)
1. डॉ0 बी0एस0माने, पुणे
2. श्री मेजर जनरल बी0एल0खन्ना, भोपाल
3. श्री चन्द्र किशोर, भोपाल
- (14) सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (मार्च, 2016)
1. श्री सुनील पाटिल, सहायक प्राध्यापक, एसएटीआई, विदिशा
2. डॉ0 अमरजीत सिंह, ब्रिगेडियर, सेवानिवृत्त / शिक्षाविद्
3. डॉ0 बी0एस0माने, संयुक्त कुलसचिव, हेरिटेज प्लाजा लिंक रोड, चिंचवाड, पुणे
- (15) श्री वैष्णव विद्यापीठ निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)
1. डॉ. अनिल काकोडकर, पूर्व अध्यक्ष, एटोमिक एनर्जी कमीशन आफ इंडिया।

2. डॉ. नरेश त्रेहान, अध्यक्ष, मेदान्ता, मेडीसेक्टर 38 गुडगांव, हरियाणा।
3. डॉ.आर०ए० मसेलकर, कुलाधिपति, ग्लोबल रिसर्च एलाइनस् नेशनल केमीकल लेबोरेटरी, पासान रोड, पुणे।

(16) मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, मंदसौर (मई, 2016)

1. श्री सुधीर मेहता, एमडी फोर्स मोटर्स, पुणे।
2. डॉ० एस०एम०पाल खुराना, पूर्व कुलपति, गुडगांव, हरियाणा।
3. प्रो० प्रदीप श्रीवास्तव, आचार्य, बरकतउल्ला वि०वि० भोपाल।

(17) मेडीकेप्स निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)

1. श्री सुरेश चॉद, प्राध्यापक, फ्लैट नं० 2 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
2. डॉ. विनोद कृष्ण सेठी, सेवानिवृत्त, निर्देशक, यूटीआई एवं विभागाध्यक्ष, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. डॉ. शील सिंधु पाण्डेय, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

(18) पी० के० निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मई, 2016)

1. डॉ. कपिलदेव मिश्र, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. डॉ. एम.के.गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायलाजी विभाग, जीव विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. डॉ. अनिल प्रकाश, प्रोफेसर, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

(19) डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (मई, 2016)

1. डॉ. (ब्रिगेडियर) अमरजीत सिंह, 504 ब्लू बेल फ्लॉवर वेली, वनवाडी, पुणे।
2. श्री भूपिन्दर मगन, डी-122 एन.टी.पी.सी. टाउनशिप शौर्य, सेक्टर 33 नोएडा, उ०प्र०।
3. मेजर ज० बनवारी लाल खन्ना, सेवानिवृत्त, 20 ए कोलार रोड, लेकसाइड, चैलेट, चूना भट्टी, भोपाल।

(20) मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर

(21) सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर

(22) जी.एच.रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा

(23) सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (सितम्बर, 2018)

1. प्रो० एच०के० दत्ता, 13 पत्रकार कालोनी, लिंक रोड नं० 3, कोलार रोड, भोपाल।
2. डॉ० अनुपम पंडित, ए-2, शाहपुरा, भोपाल।

3. डॉ० गायत्री अग्निहोत्री, 113, रैवेरा टाउन, फेस-1, मैनिट रोड, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल।

(24) अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन

(25) व्ही.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर

(26) रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर

(27) मध्यांचल प्रोफेशनल निजी विश्वविद्यालय, भोपाल *(सितम्बर, 2018)*

1. डॉ० नवीन चन्द्रा, डायरेक्टर जनरल, मध्यप्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, भोपाल।

2. डॉ० शैलेन्द्र सिंह, ए-2 एन.आर.टी.टी.आर. कैम्पस, शांति नगर, श्यामला हिल्स, भोपाल।

3. डॉ० शरत चन्द्र चौबे, प्रोफेसर इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूआईटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

(28) भाभा निजी विश्वविद्यालय, भोपाल *(सितम्बर, 2018)*

1. प्रो० एस०डी० उपाध्याय, कृषि वैज्ञानिक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

2. श्री विमलनाथ, 166, इंदिरा नगर मण्डीदीप

3. श्री मेजर जनरल बनवारी लाल खन्ना, (से०नि०) 20-ए कोलार रोड, लेक साइड चालेट चूना भट्टी, भोपाल।

(29) मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर

(30) सरदार पटेल निजी विश्वविद्यालय, बालाघाट

(31) श्री कृष्ण निजी विश्वविद्यालय, छतरपुर

(32) डॉ० सी० वी० रमन निजी विश्वविद्यालय, खण्डवा

**List of Organizations of which the Governor, Madhya Pradesh is
President/Chairman/Chief Patron/Patron etc.
(As on 27-04-2019)**

S.	Name of Organization	H.E. The Governor	Officers & Designation	Phone No
1.	Amalgamated Ex-Serviceman Benevolent Fund, Madhya Pradesh Sainik Kalyan, GTB Complex Bhopal. (M.P.)	Chairman	<i>Director</i> Brig.R.S.Nautiyal <i>Joint Director</i> Capt.(IN) Alexander	0755- 2553992 2553743 6261070410
2.	Indian Red Cross Society, Madhya Pradesh State Branch, Shiwaji Nagar, Bhopal. (M.P.)	President	<i>Chairman</i> Mr.Ashutosh Purohit <i>General -Secretary</i> Mrs. Prarthana Joshi	0755- 2550441 2551657 9425087966
3.	Madhya Pradesh Council for Child Welfare, No-5 Hostel Piplani BHEL, Bhopal. (M.P.)	President	<i>Vice President</i> Mr. <i>Secretary</i> Mr. Anil Salwadia	0755- 2686851 98937337 9926081171 8319520904
4.	Environment Planning and Co-ordination Organization, EPCO, 1100 Qurt. Bhopal. (M.P.)	President	<i>Director General</i> Mr. Malaya Shrivastava <i>Executive Director</i> Mr.Jitendra Singh Raje	0755- 2466859 2464318 Fax: 0755-
5.	Madhya Pradesh State Tuberculosis Association, Kamla Nehru Insitute, Idgah Hills, Bhopal. (M.P.)	Patron	<i>Working Chairman</i> Smt. Manjula Ponda <i>Secretary</i> Dr.G.P.Saxena	0755- 2665614 2665439 9425019899 9516281911
6.	Madhya Pradesh Bharat Scout & Guides, Shyamla Hills, Bhopal. (M.P.)	Patron	<i>State Chief Commissioner</i> Mr. Paraschandra Jain <i>State Secretary</i> Smt. Anita Ankulnerkar	0755- 2661263 2737446 9425377183
7.	Madhya Pradesh Rashtia Bhasha Prachar Samiti, Shyamla Hills, Bhopal. (M.P.)	Ex-officio Trustee	<i>Mantri/Director</i> Mr. Kailash Chandra Pant	0755- 2661087 2738612 9826046792
8.	Madhya Pradesh Tulsī Manas Pratishthan, Shyamla Hills, Bhopal. (M.P.)	Chief Patron	<i>Officiating Chairman</i> Mr. Ramakant Dubey	0755- 2661196 2660010 9406542897
9.	Madhya Pradesh Welfare Association for the Blind, Indore. (M.P.)	Chief Patron	<i>President</i> Dr.M..V. Shirdhonkar	0731- 2410296 4096265 9425380937
10	The Blind Relief Association, Shiwaji Nagar, Bhopal. (M.P.)	Chief Patron	<i>President</i> Mr. Naseer Husain	0755- 2552601 9425005998
11	Co-ordination Committee of Universities of Madhya Pradesh.	Chairman	<i>Governor of Madhya Pradesh.</i>	

माननीय राज्यपाल मध्यप्रदेश के निम्नलिखित निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष(विजीटर) है :-
(दिनांक 07.09.2019 की स्थिति में)

सं०	विश्वविद्यालय का नाम
01.	जे०पी० निजी विश्वविद्यालय, राघोगढ़ गुना (म०प्र०)
02.	आई० टी० एम० निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०)
03.	ए० के० एस० निजी विश्वविद्यालय, सतना (म०प्र०) (2012)
04.	टेक्नो ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सिरोंज विदिशा (म०प्र०) (2012)
05.	ऐमिटी निजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०) (2012)
06.	जागरण लेक सिटी निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०) (2013)
07.	श्रीसत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान निजी विश्वविद्यालय, सीहोर (2013)
08.	एल० एन० सी० टी० निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)
09.	स्वामी विवेकानन्द निजी विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०) (2011)
10.	ओरिएन्टल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०) (2011)
11.	पीपुल्स निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)
12.	रवीन्द्रनाथ टैगोर निजी विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ रायसेन (म०प्र०) (2011)
13.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (2011)
14.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन निजी विश्वविद्यालय, (आर.के.डी.एफ.) भोपाल (म०प्र०)
15.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०) (2015)
16.	मंदसौर निजी विश्वविद्यालय, मंदसौर (म०प्र०)
17.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०)
18.	पी० के० निजी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म०प्र०)
19.	मालवांचल निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०)
20.	डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०) (2015)
21.	सिम्बायसिस निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०)
22.	जी.एच. रायसोनी निजी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म०प्र०)
23.	सेज निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०)
24.	अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन (म०प्र०)
25.	व्ही.आई.टी. भोपाल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर (म०प्र०)
26.	रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर (म०प्र०)
27.	मध्यांचल प्रोफेशनल निजी विश्वविद्यालय भोपाल (म०प्र०)
28.	भाभा निजी विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)
29.	मानसरोवर ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, सीहोर (म०प्र०)
30.	सरदार पटेल निजी विश्वविद्यालय, बालाघाट
31.	श्री कृष्ण निजी विश्वविद्यालय, छतरपुर
32.	डॉ० सी०वी०रमन, निजी विश्वविद्यालय, खण्डवा

अध्याय – 5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 निरंक

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 निरंक

अध्याय – 6 (मैनुअल – 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (categories) के अनुसार विवरण

निरंक

अध्याय – 7 (मैनुअल –6)
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण.

01

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता :राज्य विश्वविद्यालय की समन्वय समिति
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार – समिति
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय– स्थापना वर्ष 1973, विश्वविद्यालय से संबंधित नीतिगत विषयों का निर्धारण
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका – परामर्शदात्री
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34 के अनुसार
06	मुख्य अधिकारी का नाम– कुलाधिपति अध्यक्ष होते हैं
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते– राजभवन, मध्यप्रदेश
08	बैठक की आवृत्ति – वर्ष में दो बार एवं कुलाधिपति की वांछानुसार
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? – नहीं
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?– हां
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? – सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

02

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, मध्यप्रदेश राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी अधिनियम, 1920 (क्रमांक 15/1920) के अंतर्गत गठित सोसायटी
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 1956 उद्देश्य : संघीय गणराज्य की सशस्त्र सेना के बीमार एवं घायल सैनिकों की चलित चिकित्सा सेवा, प्रसूति एवं बाल कल्याण, नर्सिंग एवं एम्बुलेन्स वर्क, भारत एवं भारत से बाहर प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिये राहत एवं बचाव कार्य, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों को सुविधाएँ एवं कपड़े उपलब्ध कराना तथा समाज में स्वास्थ्य चेतना का प्रसार करना। मुख्य कृत्य : प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में आपातकालीन सहायता देना, ब्लड बैंक, रक्तदान शिविरों का आयोजन, जूनियर एवं यूथ रेड क्रॉस का संचालन, एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरुकता अभियान, फर्स्ट-एड ट्रेनिंग, जल एवं सफाई व्यवस्था की उपलब्धता देखना।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में)।
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था। सदस्य संख्या –63
06	मुख्य अधिकारी का नाम	चेअरमेन
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	मुख्य कार्यालय – भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, मध्यप्रदेश राज्य शाखा, रेड क्रॉस भवन, शिवाजी नगर, भोपाल जिला शाखाएं – 48 उप शाखाएं – 54

08	बैठक की आवृत्ति	साधारण सभा – वर्ष में एक बार। प्रबंध समिति – वर्ष में दो बार। कार्यकारिणी समिति – प्रतिमाह।
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

03

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	Amalgamated Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-Servicemen, Madhya Pradesh. (A. S. F.)
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	बोर्ड।
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 16 अप्रैल, 1952 उद्देश्य : <u>इस निधि का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं (सैनिकों की) एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।</u> मुख्य कृत्य : इस निधि का मुख्य कार्य भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं (सैनिकों की) एवं उनके आश्रितों को विभिन्न उद्देश्यों के लिये आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है तथा उनके बच्चों को विद्यालयों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (समामेलित विशेष निधि का संचालन करना)
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था। सदस्य संख्या – 10
06	मुख्य अधिकारी का नाम	संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश एवं सचिव, ए.एस.एफ.
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	संचालनालय, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश, गुरु तेग बहादुर काम्लैक्स, टी.टी. नगर, भोपाल के अन्तर्गत संचालित। शाखाएँ नहीं हैं।
08	बैठक की आवृत्ति	वर्ष में एक बार।
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?	हाँ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है।

04

01	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद, छात्रावास क्रमांक-5, पिपलानी,
----	-------------------------------	---

		बी.एच.ई.एल., भोपाल ।
02	सम्बद्ध संस्था का प्रकार	परिषद ।
03	सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	स्थापना वर्ष : 1959 उद्देश्य : महिलाओं एवं बच्चों का विकास । मुख्य कृत्य : 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों के लिए झूलाघरों का संचालन । मध्यप्रदेश में वर्तमान में 256 झूलाघर संचालित तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (महिला) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं कार्यक्रमों का संचालन । वीरता पुरस्कारों हेतु बच्चों का नामांकन/ चयन ।
04	सम्बद्ध संस्था की भूमिका	अन्य (झूलाघर, आँगनवाड़ी केंद्र) ।
05	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मध्यप्रदेश स्तर की संस्था लगभग 300 सदस्य, जिनमें 212 आजीवन सदस्य ।
06	मुख्य अधिकारी का नाम	सचिव
07	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद, छात्रावास क्रमांक-5, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल । शाखाएँ नहीं हैं ।
08	बैठक की आवृत्ति	साधारण सभा : वर्ष में एक बार । कार्य. समिति : वर्ष में दो बार
09	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं ।
10	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है?	हाँ ।
11	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है?	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त कर सकती है ।

अध्याय – 8 (मैनुअल-8)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 लोक प्राधिकरण का नाम : राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी

क्र.स.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	निवास			
1	श्री राजेश बरसैयाँ गुप्ता'	राज्यपाल के विशेष सहायक	0755	2858840		2858825 2858832	sapiorajbhawan@mp.gov.in	राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल

सहा. लोक सूचना अधिकारी

क्र.स.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्या.	निवास			
1	श्री प्रताप सिंह बारिया	सहायक लेखाधिकारी	0755	2858843		2858825 2858832		राजभवन, मध्य प्रदेश भोपाल

विभागीय अपीलैट अथोरिटी

क्र.स.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्या.	निवास			
1	श्री अभय वर्मा	राज्यपाल के उप सचिव	0755	2858824		2858825 2858832	dsrajbhawan@mp.gov.in	राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल

अध्याय – 9 (मैनुअल-8) निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राजभवन में सामान्यतः निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत सचिवालय से नस्ती प्रचलित होकर संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उप सचिव/ अपर सचिव के स्तर से राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव को प्रस्तुत की जाती है। विशिष्ट मामलों में माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
विधिक मामलों में विधि अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है प्रमुख सचिव/सचिव को नस्ती प्रस्तुत की जाती है। विशिष्ट मामलों में माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां आदि के मामले प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को आदेशार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।
पदेन कुलाधिपति के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालय से संबंधित प्रकरण उपसचिव/अपर सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव/सचिव को प्रस्तुत किये जाते हैं। विशिष्ट मामले कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है ?

लिए गए निर्णय की जानकारी संबंधित को दी जाती है।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियोंकी संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है

बिंदु क्रमांक 9.1 के अनुसार

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी

प्रशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय के लिए सामान्यतः राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव विभाग प्रमुख की हैसियत से सक्षम हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश प्राप्त किये जाते हैं।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है।

क०सं० – 1
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)–विधेयकों/अध्यादेश के अनुमति/प्रख्यापन के संबंध में दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया–विधानसभा/राज्य शासन से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से राज्यपाल महोदय को आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है ।
निर्णय में शामिल अथेरिटी का पदनाम–राज्यपाल के विधि अधिकारी, राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन –मध्यप्रदेश, भोपाल निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

क्र०सं० – 2
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) – संवैधानिक पदों पर नियुक्ति
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत
निर्णय लेने की प्रक्रिया – राज्य सरकार/केंद्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किए जाकर उनपर आदेश प्राप्त किये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम-माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव
निर्णय लेने में शामिल अथोरिटी की सम्पर्क सूचना – राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

क्र०सं० – 3
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) – राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति/अभ्यावेदनों का निराकरण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों, राज्य शासन के तहत एवं राज्यपाल में कुलाधिपति के रूप में निहित शक्तियां
निर्णय लेने की प्रक्रिया – संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम – माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, अपर सचिव एवं उपसचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन – मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

क्र०सं० –4
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) –अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त दया याचिका
दिशा-निर्देश (यदि हो तो) – राज्य शासन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर
निर्णय लेने की प्रक्रिया – विधिक परीक्षण के उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय से आदेश प्राप्त किये जाते हैं।
निर्णय में शामिल अथोरिटी का पदनाम – माननीय राज्यपाल महोदय एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना – राजभवन-मध्यप्रदेश, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपील का प्रावधान नहीं है।

अध्याय – 10 (मैनुअल – 9)
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

राजभवन ई-मेल mprajbhavan@mp.gov.in

नाम/ पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल
		कार्या0	निवास		
श्री मनोहर लाल दुबे	0755	2858817		2858816	psrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के सचिव		2858818			
श्री भरत पी. महेश्वरी		2858820	246441	2858816	lorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के विधि अधिकारी					
श्री अभय वर्मा		2858824	2529735	2858825	dsrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के उप सचिव			मो0नं0 9425146761		
रिक्त					
O.S.D		2858827	2858810		
.					
श्री आशुतोष गुप्ता		2858828	2858829	2858832	adcprajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के परिसहाय			9425012890		
स्काडन लीडर विजय राणा		2858830	2858831	2858832	adcdrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के परिसहाय					
श्री अजय वर्मा		2858835	9425363689	2858832	prorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के प्रेस अधिकारी					
सुश्री लता शरणागत		2858833	2858834	2858825	comp.srajbhavan@mp.gov.in
नियंत्रक, हाउसहोल्ड			9424455824		
श्री राजेश बरसैया गुप्ता		2858840	2463450	2858825	sapiorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के विशेष सहायक			9425393757		
श्री आलोक दुबे		2858841	4222546	2858825	aorajbhavan@mp.gov.in
अवर सचिव (वित्त)			99778839 21		
डॉ0 बृजेश श्रीवास्तव		2858836	2558551		morajbhavan@mp.gov.in
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी			9826320845		
डॉ0(श्रीमती) नीता मेहरोत्रा		2858836	2467710		
चिकित्सा विशेषज्ञ					
डॉ0(श्रीमती) संगीता जैन		2858836	2467708		
चिकित्सा विशेषज्ञ					
डॉ0 (श्रीमती) कीर्ति राठौर		2858837	2467704		

चिकित्सा अधिकारी(होम्योपैथ)					
रिक्त					
चिकित्सा अधिकारी(आयुर्वेद)					
रिक्त					pstogovrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के निज सचिव					
श्री आर. आर. शर्मा		2858813	2858815	2858816	patorajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के व्यक्तिक सहायक					
श्री नीरज ठाकुर		2858839	9425374621		
मुख्य सुरक्षा अधिकारी					
श्री विकास कुमार जायसवाल		2858846	2858881		catmrajbhavan@mp.gov.in
कैटरिंग मैनेजर					
श्रीमती शिल्पी दिवाकर,		2858844	2858845		aporajbhavan@mp.gov.in
सहा. सत्कार अधि०			9826991281		
श्री कुलदीप सक्सेना,		2858864	2858894	2858894	
उपयंत्री					
श्री हेमन्त झारिया,		2858865	2858895	2858895	
उपयंत्री					
श्री राजेन्द्र शर्मा,		2858866	9425393221	—	
उद्यान अधीक्षक					
डॉ. राजकुमार जैन		2858851	9425444424	—	soerajbhavan@mp.gov.in
अनुभाग अधिकारी (स्था०)					
श्री प्रदीप भावसार		2858848	8359098802	—	sourajbhavan@mp.gov.in
अनुभाग अधिकारी (वि०वि०)					
श्री प्रताप सिंह बारिया		2858843	9424487149	—	aaorajbhavan@mp.gov.in
सहायक लेखा अधिकारी					
श्री संतोष देवडा		2858818	2858819		patopsrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के सचिव के निज सहा.			9424444436		
श्रीमती बिसनी शिवदास		2858818	2858892		patopsrajbhavan@mp.gov.in

राज्यपाल के सचिव के निज सहा.					
श्री शिवनारायण प्रसाद		2858824	9981816703		patoasrajbhavan@mp.gov.in
राज्यपाल के उपसचिव के निज सहायक					
पी0एस0ओ0 कक्ष		2858872			
कंपनी कमांडर		2858871			
स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, राजभवन		2858867			
पोस्ट ऑफिस, राजभवन		2572105			
लायब्रेरियन		2858856			
श्री बी.के. तिवारी		2858852	2858888		
सहायक ग्रेड-1					
श्री अशोक शर्मा(सत्कार सहायक)		9893300813 2858889	2858890		

अध्याय -11 (मैनुअल-10)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 जानकारी निर्धारित प्रारूप में संलग्न है :-

LIST OF RAJBHAVAN EMPLOYEE

<u>S.N</u>	<u>Name</u>	<u>Designation</u>	<u>Basic</u>	<u>Gross</u>
<u>1</u>	<u>Shri Manohar Dubey</u>	<u>Secretary</u>	<u>211800</u>	<u>272096</u>
<u>2</u>	<u>Shri B.P. Maheswari</u>	<u>Law Officer</u>	<u>97898</u>	<u>105543</u>
<u>3</u>	<u>Shri Abhay Varma</u>	<u>Dy. Sec.</u>		
<u>4</u>	<u>Sqn. Ldr. Vijay Rana</u>	<u>ADC</u>	<u>85300</u>	<u>132785</u>
<u>5</u>	<u>Shri Ashuthosh Gupta</u>	<u>ADC to Governor</u>	<u>71800</u>	<u>80866</u>
<u>6</u>	<u>Ku. Lata Sharnagat</u>	<u>Comptroller</u>	<u>84800</u>	<u>96196</u>
<u>7</u>	<u>Shri Alok Dubey</u>	<u>Accounts Officer</u>	<u>82700</u>	<u>96108</u>
<u>8</u>	<u>Shri Rajesh Barsainyan Gupta</u>	<u>SA to Governor</u>	<u>82400</u>	<u>96095</u>
<u>9</u>	<u>Smt Shilpi Bhangre</u>	<u>APO</u>	<u>52500</u>	<u>59420</u>
<u>10</u>	<u>Shri Vikas K jaiswal</u>	<u>Manager</u>	<u>40800</u>	<u>47701</u>
<u>11</u>	<u>Shri Pradep Bhawsar</u>	<u>Section Office</u>	<u>57400</u>	<u>66959</u>
<u>12</u>	<u>Shri Pratap Singh Bariva</u>	<u>Asst. Accounts Officer</u>	<u>43300</u>	<u>49236</u>
<u>13</u>	<u>Dr. Raj Kumar Jain</u>	<u>Section Officer</u>	<u>87400</u>	<u>101932</u>
<u>14</u>	<u>Shri Deviki Nadan Vvas</u>	<u>Asst. Grade II</u>	<u>7700</u>	<u>34627</u>
<u>15</u>	<u>Smt. Sosamma Roy</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>27000</u>	<u>30925</u>
<u>16</u>	<u>Shri Jeevan Khanna</u>	<u>Driver</u>	<u>29400</u>	<u>33613</u>
<u>17</u>	<u>Shri Vikas Parasar</u>	<u>Asst. Grade I</u>	<u>42000</u>	<u>49385</u>
<u>18</u>	<u>Shri Indresh Sharma</u>	<u>Asst. Grade I</u>	<u>42000</u>	<u>49385</u>
<u>19</u>	<u>Smt. Kalpana Athulkar</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>19500</u>	<u>22525</u>
<u>20</u>	<u>Shri Bhadur Singh Yadav</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>22600</u>	<u>25997</u>
<u>21</u>	<u>Smt. Vadana Purkam</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>27000</u>	<u>31949</u>
<u>22</u>	<u>Smt. Santosh Kumar Jatav</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>22600</u>	<u>27178</u>
<u>23</u>	<u>Shri Shivm Chturvedi</u>	<u>DEO</u>	<u>25300</u>	<u>30005</u>
<u>24</u>	<u>Shri Prateek Kumar Verma</u>	<u>DEO</u>	<u>25300</u>	<u>29021</u>
<u>25</u>	<u>Shri Basant Kumar Tiwari</u>	<u>Astt. Grade. I</u>	<u>50200</u>	<u>56964</u>
<u>26</u>	<u>Shri M.A.Raju</u>	<u>Steno Typist</u>	<u>49500</u>	<u>56250</u>
<u>27</u>	<u>Shri Sunil Kumar Bhoavar</u>	<u>Asst. Grade. I</u>	<u>45900</u>	<u>52148</u>
<u>28</u>	<u>Shri Shiv Narayan Prasad</u>	<u>PA</u>	<u>50200</u>	<u>58950</u>
<u>29</u>	<u>Smt. Manisha Shrivastava</u>	<u>Asst. Programmer</u>	<u>48700</u>	<u>55284</u>
<u>30</u>	<u>Smt. Bisni Shivdas</u>	<u>PA</u>	<u>57400</u>	<u>65028</u>

<u>31</u>	<u>Shri Suniti Kumar Titus</u>	<u>Astt. Grade. I</u>	<u>54100</u>	<u>63418</u>
<u>32</u>	<u>Shri Shesh Rao Ahire</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>42000</u>	<u>47750</u>
<u>33</u>	<u>Smt. Lissy Abraham</u>	<u>Asst. Programmer</u>	<u>53300</u>	<u>62480</u>
<u>34</u>	<u>Shri Anand Swaroop Gupta</u>	<u>Astt. Grade. II</u>	<u>47300</u>	<u>53911</u>
<u>35</u>	<u>Shri Santosh Kumar Malviya</u>	<u>Driver</u>	<u>44800</u>	<u>50901</u>
<u>36</u>	<u>Shri Sudhir Sigaria</u>	<u>Driver</u>	<u>42200</u>	<u>47989</u>
<u>37</u>	<u>Smt Deepa Laxmi Rangnekar</u>	<u>Astt. Grade. II</u>	<u>48100</u>	<u>56431</u>
<u>38</u>	<u>Shri Mahesh Kumar Dhurvev</u>	<u>Data Entry Opertor</u>	<u>42200</u>	<u>47949</u>
<u>39</u>	<u>Shri Subhash Kumar Bargle</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>36200</u>	<u>41229</u>
<u>40</u>	<u>Shri Abdul Salam</u>	<u>Head Driver</u>	<u>48100</u>	<u>54597</u>
<u>41</u>	<u>Shri Awadh Narayan Sharma</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>40800</u>	<u>46381</u>
<u>42</u>	<u>Shri Prayag Rao Makode</u>	<u>Asst. Grade III</u>	<u>37300</u>	<u>42461</u>
<u>43</u>	<u>Shri Santosh Kumar Devada</u>	<u>PA</u>	<u>82700</u>	<u>93364</u>
<u>44</u>	<u>Shri Ram Ratan Sharma</u>	<u>PA</u>	<u>77700</u>	<u>87914</u>
<u>45</u>	<u>Shri Zakir Hussain</u>	<u>Driver</u>	<u>42200</u>	<u>47989</u>
<u>46</u>	<u>Shri Wahid khan,</u>	<u>Telephone Opertor</u>	<u>42200</u>	<u>47949</u>
<u>47</u>	<u>Shri Sagir Khan</u>	<u>Driver</u>	<u>44800</u>	<u>50901</u>
<u>48</u>	<u>Shri M.K. Bhilala</u>	<u>Driver</u>	<u>33100</u>	<u>37797</u>
<u>49</u>	<u>Smt Rajshree Rajput</u>	<u>Tele.opert.</u>	<u>48100</u>	<u>54557</u>
<u>50</u>	<u>Shri Devendra Dade</u>	<u>Driver</u>	<u>37500</u>	<u>42725</u>
<u>51</u>	<u>Shri Mulchand Basor</u>	<u>Sweeper</u>	<u>22900</u>	<u>27112</u>
<u>52</u>	<u>Shri Bisen Singh Dabber</u>	<u>Peon</u>	<u>22900</u>	<u>26258</u>
<u>53</u>	<u>Shri Ajay Kumar Saini</u>	<u>Peon</u>	<u>18500</u>	<u>22334</u>
<u>54</u>	<u>Smt. Sharda Uttwal</u>	<u>Sweeper</u>	<u>22100</u>	<u>26206</u>
<u>55</u>	<u>Shri Abdul Firoz Khan</u>	<u>Waiter</u>	<u>24200</u>	<u>27514</u>
<u>56</u>	<u>Shri Madhukar Rao Dharnwar</u>	<u>Waiter</u>	<u>24200</u>	<u>27714</u>
<u>57</u>	<u>Shri Prem Naravan Malviva</u>	<u>Sweeper</u>	<u>22100</u>	<u>25362</u>
<u>58</u>	<u>Shri Dayam Ram Chhabar</u>	<u>Sweeper</u>	<u>28000</u>	<u>33048</u>
<u>59</u>	<u>Shri Kanta Prasad Sharma</u>	<u>cook</u>	<u>31300</u>	<u>35666</u>
<u>60</u>	<u>Shri Sitaram Chhabar</u>	<u>Sweeper</u>	<u>28000</u>	<u>33048</u>
<u>61</u>	<u>Shri Muabrik Ali</u>	<u>Peon</u>	<u>28000</u>	<u>31770</u>
<u>62</u>	<u>Shri Ramdas Berha</u>	<u>Sweeper</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>63</u>	<u>Shri Kanta Prasad</u>	<u>Sweeper</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>64</u>	<u>Shri Khubilal Sanidiya</u>	<u>Khalasi</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>65</u>	<u>Shri Santosh Kumar Rajbawar</u>	<u>Peon</u>	<u>26600</u>	<u>30402</u>
<u>66</u>	<u>Shri Vijaya Kumar Jogale</u>	<u>Peon</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>67</u>	<u>Shri Sumer Singh</u>	<u>Peon</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>68</u>	<u>Smt Chandrabhaga</u>	<u>Peon</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>69</u>	<u>Smt. Pemda Bai</u>	<u>Sweeper</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>70</u>	<u>Smt Sampat Bai</u>	<u>Sweeper</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>71</u>	<u>Shri Rajednra Singh</u>	<u>Peon</u>	<u>22100</u>	<u>25362</u>

	<u>Khaul</u>			
<u>72</u>	<u>Shri Farzan Ali</u>	<u>Driver</u>	<u>36200</u>	<u>41269</u>
<u>73</u>	<u>Shri Anil Kumar Shrivastava</u>	<u>Khalasi</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>74</u>	<u>Shri Yank Bahadur</u>	<u>Cook</u>	<u>30400</u>	<u>34658</u>
<u>75</u>	<u>Shri Ram Sharan Mishra</u>	<u>Chokkidar</u>	<u>28800</u>	<u>32866</u>
<u>76</u>	<u>Shri Bali ram Arya</u>	<u>Khalasi</u>	<u>27400</u>	<u>31298</u>
<u>77</u>	<u>Shri Suresh Chandra Sharma</u>	<u>Khalasi</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>78</u>	<u>Shri Rukmath Sharma</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>79</u>	<u>Shri Basant Kumar Kanojia</u>	<u>Dhobi</u>	<u>34200</u>	<u>38914</u>
<u>80</u>	<u>Shri Ek Nath Dawale</u>	<u>Tendel</u>	<u>35200</u>	<u>40034</u>
<u>81</u>	<u>Shri Chandramani Wankede</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28200</u>	<u>32194</u>
<u>82</u>	<u>Shri Bharth Bhusan Ogale</u>	<u>Care taker</u>	<u>35200</u>	<u>40034</u>
<u>83</u>	<u>Shri Bhagawat Ram Arya</u>	<u>Khalasi</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>84</u>	<u>Shri Rohit Kumar Tiwari</u>	<u>Chhoki dar</u>	<u>28800</u>	<u>32866</u>
<u>85</u>	<u>Shri Bhojraj Sharma</u>	<u>Waiter</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>86</u>	<u>Shri Francies Fernadies</u>	<u>Khalasi</u>	<u>30600</u>	<u>34524</u>
<u>87</u>	<u>Shri Sitaram Mourya</u>	<u>Khalasi</u>	<u>25800</u>	<u>29056</u>
<u>88</u>	<u>Shri Manohar Lal</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>89</u>	<u>Shri Satendra Singh Bhagel</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28800</u>	<u>32866</u>
<u>90</u>	<u>Shri Surendra Kumar Chutelkar</u>	<u>Saffai Jamadar</u>	<u>26600</u>	<u>30402</u>
<u>91</u>	<u>Shri Abdul Sattar</u>	<u>Chhokidar</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>92</u>	<u>Smt Asha Ravtel</u>	<u>Khalasi</u>	<u>30600</u>	<u>34682</u>
<u>93</u>	<u>Shri T. Sahaden</u>	<u>Chokkidar</u>	<u>35200</u>	<u>40034</u>
<u>94</u>	<u>Smt. Ruma Bai</u>	<u>Saffai Jamadar</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>95</u>	<u>Shri Niranjan Singh</u>	<u>Khalasi</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>96</u>	<u>Shri Ram Pal</u>	<u>Cleaner</u>	<u>28800</u>	<u>32866</u>
<u>97</u>	<u>Shri Triloki Prasad</u>	<u>cook</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>98</u>	<u>Shri Niraj Kumar Sahu</u>	<u>Peon</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>99</u>	<u>Shri Vijay Kumar Batham</u>	<u>Waiter</u>	<u>27200</u>	<u>31074</u>
<u>100</u>	<u>Shri Raguveer Prasad</u>	<u>Khalasi</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>101</u>	<u>Mohd. Ishaq</u>	<u>Waiter</u>	<u>32200</u>	<u>36674</u>
<u>102</u>	<u>Shri Shobha Ram Pattidhar</u>	<u>Khalasi</u>	<u>32400</u>	<u>36898</u>
<u>103</u>	<u>Shri Prakash Kumar Sanodiya</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28800</u>	<u>32866</u>
<u>104</u>	<u>Shri Kishan Nath</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28800</u>	<u>32866</u>
<u>105</u>	<u>Shri B.P. Pathak</u>	<u>Jamadar</u>	<u>36000</u>	<u>41200</u>
<u>106</u>	<u>Shri Ramesh Chandra Jagade</u>	<u>Cleaner</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>107</u>	<u>Shri Ashok Kumar Sharma</u>	<u>Asst. Protocol</u>	<u>31500</u>	<u>35890</u>
<u>108</u>	<u>Shri Dil Bhadur</u>	<u>Khalasi</u>	<u>28000</u>	<u>31970</u>
<u>109</u>	<u>Shri Sheshram Chhanta</u>	<u>Mate</u>	<u>24300</u>	<u>27826</u>
<u>110</u>	<u>Shri Shanu Khan</u>	<u>Peon</u>	<u>21600</u>	<u>24802</u>
<u>111</u>	<u>Smt. Geeta Pandhi</u>	<u>Khalasi</u>	<u>24300</u>	<u>27826</u>
<u>112</u>	<u>Shri Bhagwati Verma</u>	<u>Khalasi</u>	<u>18500</u>	<u>21630</u>
<u>113</u>	<u>Shri Suraj Singh</u>	<u>Khalasi</u>	<u>24300</u>	<u>27826</u>
<u>114</u>	<u>Smt Sunita Kelkar</u>	<u>Peon</u>	<u>19700</u>	<u>22974</u>
<u>115</u>	<u>Shri Rakesh Kanojia</u>	<u>Dhobi</u>	<u>23600</u>	<u>26334</u>
<u>116</u>	<u>Shri Kamalesh Dalodiya</u>	<u>Asstt. Cook</u>	<u>22900</u>	<u>26258</u>

117	<u>Smt Sweta Uike</u>	<u>peon</u>	<u>22900</u>	<u>26258</u>
118	<u>Shri Sved Khan</u>	<u>Masalchi</u>	<u>21500</u>	<u>24690</u>
119	<u>Smt. Motan More</u>	<u>Khalasi</u>	<u>24300</u>	<u>27826</u>
120	<u>Shri Uma Nath Pandey</u>	<u>Masalchi</u>	<u>22200</u>	<u>25474</u>
121	<u>Smt. Motival Naqwal</u>	<u>peon</u>	<u>24300</u>	<u>28757</u>
122	<u>Shri Mukesh Joshi</u>	<u>waiter</u>	<u>24200</u>	<u>27714</u>

**अध्याय-12 (मैनुअल-11)
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट**

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

2.1 निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिये लागू नहीं

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये (वर्ष 2019-20)

क्र.सं.	मद	स्वीकृत बजट (राशि रूपयों में)	शासन द्वारा प्रदत्त	कुल व्यय मार्च-19 तक
1.	2012-03- भारित	11,37,02000 (भारित)	113702000	9,65,17259
2.	2012-03- मतदेय	1,30,00000 (मतदेय)	1300000	65,77,918

**अध्याय -13 मैनुअल
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति**

13.1 निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध हैं।

- कार्यक्रम/योजना का नाम – विवेकाधीन अनुदान
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा – वित्तीय वर्ष
- कार्यक्रम का उद्देश्य- विवेकाधीन अनुदान में निम्न प्रयोजन शामिल है :-
 1. ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार
 2. पाठशाला के योग्य तथा निर्धन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार।
 3. विधवा स्त्री एवं मुक्त बंधुआ मजदूर की लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता
 4. अत्यंत गरीब व्यक्ति को सहायता
 5. अनाथ या अपंग को सहायता
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) – निरंक
- लाभार्थी की पात्रता – कार्यक्रम के उद्देश्य में समाहित है।
- पूर्वापेक्षाएं – निरंक
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – आवेदन द्वारा

- पात्रता निश्चित करने के लिए मानदंड – कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल बिंदुओं की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज अथवा माननीय की वांछानुसार दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)–म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश भोपाल, दिनांक 4 दिसंबर 1995 क्रमांक एफ.ए. 2-49/95/एक (1) के अनुसार
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया – स्वीकृति उपरांत चेक द्वारा
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें–राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, राजभवन म.प्र. भोपाल
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) – निरंक
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) – निरंक
- आवेदन का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बतायें कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे) – सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेज के साथ माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ।
- संलग्नकों की सूची – यथा आवश्यक
- संलग्नकों का प्रारूप – निरंक
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें – राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, राजभवन, म.प्र. भोपाल
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) – राजभवन सचिवालय का सहायक कार्यालय नहीं है।

अध्याय – 14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 निरंक

अध्याय – 15 (मैनुअल – 14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें।

निरंक

अध्याय- 16 (मैनुअल-15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

16.1 निरंक

अध्याय- 17 (मैनुअल-16)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण जैसे –
- अभिलेखों का निरीक्षण – सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुरूप
 - दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था – सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुरूप
 - लोक प्राधिकरण की वेबसाइट – <http://www.mprajbhavan@mp.gov.in>

अध्याय – 18 (मैनुअल-17)
अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

- प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कैसे किया जाए।
उत्तर – निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा।
- प्रश्न – आवेदन किसको प्रस्तुत किया जाए।
उत्तर – राज्यपाल के विशेष सहायक को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है, आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राज्यपाल के विशेष सहायक) को प्रस्तुत किया जावेगा।
- प्रश्न – आवेदन के साथ कितना शुल्क जमा करना होगा।
उत्तर – शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को शुल्क से छूट है।
- प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या जानकारी दी जा सकती है।
उत्तर – नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- प्रश्न – सूचना के अधिकार के तहत जानकारी कितने समय में प्राप्त होगी।
उत्तर – आवेदन देने के 30 दिवस के अंदर।
- प्रश्न – आवेदन किस भाषा में भरा जा सकता है।
उत्तर – हिन्दी या अंग्रेजी में
- प्रश्न – निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने पर क्या प्रावधान है।
उत्तर – निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने पर बाद में निःशुल्क दी जावेगी।
- प्रश्न – इस संबंध में अपील करने का क्या प्रावधान है।
उत्तर – लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील राज्यपाल के उपसचिव को की जावेगी। उपसचिव के दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की जावेगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

0.1 आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)

1. आवेदक का नामरामप्रसाद.....
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है..... ग्राम-पोस्ट गुरैया जिला-छिन्दवाड़ा म.प्र. 48001
3. दूरभाष क्रमांक.....07162 -256535
4. आवेदन देने का दिनांक15 सितंबर 2005
5. कार्यालय का नामराजभवन- म.प्र., भोपाल
6. चाही गई जानकारी का विवरण- 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2003 तक जमा किये गये विद्युत देयकों (कृषि पम्प) की राशि का समायोजन बाबत प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही।
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
.नकल.....
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी- रुपये 10/- नगद/स्टाम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
रसीद क्रमांक.....100.....एवं दिनांक.....14.10.05
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हां/नहीं - नहीं.....
यदि हां तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर

सही

(आवेदन कर्ता)

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न करें।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक --- 14.10.05
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक --- 25.10.05
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी.....राज्यपाल के विशेष सहायक (लोक सूचना अधिकारी)
दिनांक...14.10.05

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

0.2 शुल्क

- अ. आवेदन पत्र के साथ 10/- का शुल्क नकद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में लगाना अनिवार्य है। (बी.पी.एल. आवेदक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित बी.पी.एल. प्रति प्रस्तुत करने पर शुल्क मुक्त)
- ब. दस्तावेज/अभिलेखों की फोटोकापी हेतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित शुल्क।
- स. प्रामाणिक नमूना प्रदाय किये जाने हेतु वास्तविक लागत जैसा लोक सूचना अधिकारी निर्धारित करे।
- द. प्रथम अपील शुल्क 50/- तथा द्वितीय अपील शुल्क 100/- नकद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है। (बी.पी.एल. आवेदक शुल्क मुक्त)
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए—कुछ टिप्स
संलग्न प्रपत्र क्रमांक -1 भरकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
 - सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया

लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील राज्यपाल के अपर सचिव को की जावेगी जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी के रूप में नामांकित हैं। अपीलीय अधिकारी के दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की जावेगी।

18.3 निरंक


18.4 निरंक

18.5 निरंक

18.6 निरंक

18.7 निरंक

संगठन चार्ट
माननीय राज्यपाल मध्यप्रदेश
राज्यपाल के प्रमुख सचिवसचिव/



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी											
वार्षिक प्रतिवेदन- वर्ष 2018											
क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2017 को लंबित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.2018 को लंबित आवेदनों की संख्या (लागत राशि अप्राप्त के कारण)	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गया	वर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण		
									आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राज्यपाल कासचिवालय, राजभवन भोपाल	श्री राजेश बरसैयों 'गुप्ता'	18	186	204	163	41	04	1220	7628	8848

नोट:-

01. लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) में परिभाषित है।
02. इस प्रपत्र में 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध /अन्तर्गत "लोक प्राधिकारी" वार अपीलों का विवरण दिया जाना है।
03. संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च..... तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को जानी है अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी								प्रपत्र-“ब”
वार्षिक प्रतिवेदन- वर्ष 2018								
क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2017 को लंबित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक निराकृत अपीलों की संख्या	दिनांक 31.12.2018 को लंबित अपीलों की संख्या	अपील के माध्यम से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	श्री केयूर सम्पत	निरंक	14	14	14	निरंक	400.00

नोट:-

01. लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) में परिभाषित है।
02. इस प्रपत्र में 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध / अन्तर्गत “लोक प्राधिकारी” वार अपीलों का विवरण दिया जाना है।
03. संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च..... तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को जानी है अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी							प्रपत्र- स
वार्षिक प्रतिवेदन - 2018							
क्र.	विभाग का नाम	सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या			प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या		
		प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन-2018. वर्ष 2018 में राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं की संख्या जो कि अधिनियम की धारा (2) के तहत "SUBSTANTIALLY FINANCED " की श्रेणी में आती है।

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	संस्था का नाम व पता
1	2	3
	राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल	निरंक